प्रेस नोट- थाना कांट

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनाँक – 05.08.2026

थाना कांट पुलिस की बड़ी सफलता, हत्या के षड्यंत्र में शामिल वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश शासन की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम तथा क्रियाशील एवं चिन्हित अपराधियों, वांछित/वारंटी अभियुक्तों एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान, मादक पदार्थ, अवैध शराब एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री की रोकथाम तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु संचालित अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) महोदय के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक थाना कांट के नेतृत्व में थाना कांट पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.08.2026 को वादी श्री चन्द्रपाल पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम प्रहलादपुर कमलनैनपुर, कस्बा व थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना कांट पर तहरीर दी गई कि विपक्षीगण 1. समीर पुत्र लियाकत अली निवासी मोहल्ला गढ़ी पूर्वी, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर एवं उसके अन्य 03 साथियों द्वारा वादी के पुत्र गौतम पर जान से मारने की नीयत से एक राय होकर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल शाहजहाँपुर ले जाया गया, जहाँ चिकित्सक द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। उक्त तहरीर के आधार पर थाना कांट पर मु0अ0सं0-367/2026, धारा 103(1)/3(5) बीएनएस बनाम 1. समीर पुत्र लियाकत अली निवासी मोहल्ला गढ़ी पूर्वी, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर एवं उसके अन्य 03 साथियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 61(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। विवेचना के क्रम में संदिग्ध अश्वनी पुत्र गुड्डू सिंह निवासी ग्राम नौसारा सिकन्दरपुर खुर्द, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर को पूछताछ हेतु थाना कांट लाया गया। पूछताछ एवं प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अश्वनी पुत्र गुड्डू सिंह उपरोक्त का नाम अभियुक्त के रूप में प्रकाश में आया, जिसके उपरांत उसे थाना कार्यालय में ही गिरफ्तारी का कारण बताते हुए दिनांक 05.08.2026 को समय 16:33 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अश्वनी पुत्र गुड्डू सिंह निवासी ग्राम नौसारा सिकन्दरपुर खुर्द थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर (उम्र करीब 19 वर्ष)

गिरफ्तारी का दिनाँक, समय व स्थान-

दिनांक 05.08.2026 समय 16.33 बजे, थाना कांट कार्यालय।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 367/2026 धारा 103(1)/3(5)/61(2) थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर

पूछताछ अभियुक्त-

अभियुक्त से पूछताछ करने पर उसने बताया कि गौतम पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम प्रहलादपुर कमलनयनपुर, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर तथा समीर पुत्र लियाकत अली निवासी कस्बा कांट, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर सहित अन्य कुछ लड़के मेरी बहन से बातचीत करते थे तथा उसे ब्लैकमेल करते हुए एक-दूसरे से बात न करने के लिए दबाव बनाते थे। वे सभी उसे धमकी देते थे कि यदि वह किसी अन्य व्यक्ति से बात करेगी तो उससे बात करने वाले व्यक्ति को मार देंगे। जब मुझे इसकी जानकारी हुई तो मैंने अपनी बहन का विवाह तय कर दिया, किन्तु उक्त दोनों ने मिलकर मेरी बहन का रिश्ता तुड़वा दिया। इसके बाद मैंने दोनों को एक-दूसरे के माध्यम से निपटाने की योजना बनाई। उसी योजना के तहत मैंने समीर से बात की, तो उसने गौतम को मारने का आश्वासन दिया। मैंने समीर से भी मेरी बहन से बात न करने के लिए कहा, जिस पर उसने मुझे भी जान से मारने की धमकी दी। मृतक गौतम के साथ मेरा तहेरा भाई बिक्की रहता था। समीर ने बिक्की को भी गौतम के साथ मारने की बात कही थी। चूँकि उक्त दोनों मेरी बहन को ब्लैकमेल कर रहे थे, जिससे मुझे अत्यधिक आत्मग्लानि हो रही थी, इसलिए मैंने समीर को गौतम की हत्या करने के लिए उकसाया था और मुझे विश्वास था कि समीर गौतम की हत्या कर देगा। मैं काम करने के लिए दिल्ली चला गया था। दिनांक 31.07.2026 को प्रातः लगभग 08:00 बजे मेरे मोबाइल फोन पर समीर का फोन आया। उसने मुझसे कहा कि अपने भाई बिक्की को रोक लो, वह बीच में आ रहा है, नहीं तो मैं गौतम के साथ उसे भी मार दूँगा। इस पर मैंने कहा कि घर जाकर बात कर लेना। तब समीर ने मुझसे कहा कि वह गौतम को मार देगा। अगले दिन सुबह मुझे जानकारी हुई कि गौतम की हत्या कर दी गई है, जिससे मुझे बड़ी शांति मिली। मैं भी मजबूरीवश गौतम की हत्या कराने के षड्यंत्र में शामिल हुआ था।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 श्री नागेन्द्र तिवारी थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
3. रि0का0 रक्षक तोमर थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर